रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 9 फरवरी, 1985/20 माघ, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

निलम्बन आदेश

धर्मशाला, 21 जनवरी, 1985

संख्या पी० सी० एच०-के० जी० आर०-386-89.—क्योंकि श्री युगल किशोर, प्रधान, ग्राम पंचायत कौपड़ा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा को उन द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण देने हेतु इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या पी० सी० एच०-के० जी० आर०-440-42 दिनांक 2-2-1984 द्वारा कारण बताओं नोटिस दिया गया था तथा बाद में उन्हें प्रधान पद से आदेश संख्या 3087-91/पंच दिनांक 5-6-84 द्वारा निलम्बित किया गया था ।

और क्योंकि उक्त प्रधान द्वारा माननीय वित्त आयुक्त (विकास)-कम-सचिव (पंचायत) की अदालत में अपील दायर की गई थी जिस पर उक्त अदालत ने निलम्बन आदेश रद्द करके प्रधान को 2 माह का समय कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के लिए दिया था तदोपरान्त आगामी कार्यवाही के आदेश दिनांक 1-8-84 के अन्तर्गत दिए गए थे इन आदेशों के दृष्टिगत प्रधान को इस कार्यालय के आदेश संख्या पी० सी० एच० के० जी० आर०-5852-53 दिनांक 12-9-84 तथा 7511 दिनांक 23-10-84 द्वारा पंचायत रिकार्ड का निरीक्षण करके कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के लिए कहा गया था ।

और क्योंकि उक्त श्री युगल किशोर प्रधान ने, खण्ड विकास अधिकारी, देहरा की रिपोर्ट दिनांक 20-12-84 के अनुसार, कोई भी उत्तर उनके कार्यालय में नहीं भेजा है और न ही इस कार्यालय में सीधे प्राप्त हुआ है, जिस से स्पष्ट है कि उन्हें अपने पक्षों में कुछ भी नहीं कहना है तथा उन पर लगाए गए आरोप उन्हें स्वीकार हैं। इसलिए अब ये उक्त गंभीर अनियमितताओं के लिए दोषी पाए गए हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें प्रधान पद से निलम्बित किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः मैं, हीरा लाल नौशाद, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री युगल किशोर प्रधान, ग्राम पंचायत कोपड़ा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा को अविलम्ब प्रधान पद से निलम्बित करता हूं तथा उक्त पंचायत सम्बन्धी किसी भी प्रकार के कार्य में भाग लेने पर भी रोक लगाता हूं। ये इन आदेशों की प्राप्ति के तुरन्त बाद अपने पद का कार्यभार उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कोपड़ा को सौंप देंगे।

हीरा लाल नौशाद,
अतिरिक्त उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd January, 1985

No. 10 (1) 34/83-1384-1433.—In partial modification of the notification circulated *vide* No. 10 (1) 34/83-16234-68 dated 20th September, 1984, I, Y. R. Mahajan, Director, Food and Supplies, Himachal Pradesh do hereby make the following amendments:—

(*i*) The rates of Maida and Suji will be Rs. 230/- per quintal ex-mill. There will be no control on price and distribution of resultant atta and bran.

(*ii*) Only wholemeal atta will be distributed under the Public Distribution System @ Rs. 200 per quintal in the subsidized areas and @ Rs. 210 per quintal in non-subsidized areas.

2. These orders will come in to force with immediate effect.

Y. R. MAHAJAN,
Director.

IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 22nd January, 1985

No. I&PH. 6(2)-2/82-II.—Please *substitute* the word "Divisional Forest Officer, Paonta" in place of 'Conservator of Forest, Nahan' appearing at Sr. No. 4 of this Department notification

of even number dated 24-11-1984 as member of the District-level Coordination Committee for the Command Area Development Agency in Sirmaur district.

ATTAR SINGH,
Commissioner-cum-Secretary.

पंचायती राज विभाग

कारण बताओ नोटिस

शिमला-2, 23 जनवरी, 1985

संख्या पी0सी0 एच0-एच0 ए0 (5)-193/77.—क्योंकि श्री जगत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत सुरड़वां, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा के विरुद्ध उसकी पिछली कार्यकाल अवधि से सम्बन्धित निम्नलिखित अवधि में अनाधिकृत रूप से अपने पास पंचायत की नगद बाकी को रखने का आरोप है:—

अवधि	राशि
7/77 से 9/77	4945-30
10/77 से 17/77	3399-53
1/78 से 2/78	2230-53
3/78	1543-23
4/78 से 5/78	967-00
6/78	1667-00
7/78	967-00
8/78	900-00

और क्योंकि उक्त नगद बाकी को अनाधिकृत रूप से अपने पास रख कर श्री जगत राम प्रधान ने अपने पद का दुरुपयोग करने तथा अल्पकालीन दुपरुयोग करने का आरोप है;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री जगत राम को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उक्त आरोप हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधि-नियम, 1968 कि धारा 57 के अन्तर्गत प्रधान ग्राम पंचायम सुरड़वां के पर से निलम्बित किया जाये। उनका उत्तर इस नोटिस को प्राप्त करने के बाद 15 दिन के अन्दर-अन्दर जिलाधीश कांगड़ा के माध्यम से पहुंच जाना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे अपने बचाव में कुछ कहना नहीं चाहते तथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 23 जनवरी, 1985

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5)-28/81.—क्योंकि श्री जगदीश चन्द, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत गरनोटा, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा को इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 24-1-84 को पंचायत फण्ड के दुरुपयोग तथा अनियमितताओं के लिए निष्कासन कारण बताओ नोटिस दिया था;

और क्योंकि उक्त नोटिस का उत्तर विचारने पर असन्तोषजनक पाया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री जगदीश चन्द को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत प्रधान पद से तत्काल निष्कासित करने का आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

TRANSPORT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 21st January, 1985

No. 1-1/84-TPT.—The address of Shri Kishore Chand, General Secretary, H. P. S. E. L., appearing in this Department notification No. 1-1/79-TPT, dated the 16th June, 1984, may be *read* as "Thakur Kishore Chand, Advocate, resident of Village Dhodamb, Post Office Chari, Tehsil and District Kangra".

HARSH GUPTA,
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हि० प्र०, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।